क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एस–ए–6, मण्डिया रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, पाली
Phone No. 02932-231616 Email address-rorpcb.pali@gmail.com

क्रमांक :– क्षे.का.राप्रनिम–पाली / लैब –16 / 2177 दिनांक: 21-08-2023

खुली बोली निविदा सूचना 02 / 2023–2024

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, पाली के राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम (Natioanl Ambient Air Quality Monitoring Programme) पाली शहर में 03 स्थानों पर वायु प्रदूषण मापने वाली मशीनों का संचालन (Operation of Repairable Dust Sampler), सुरक्षा एवं सुरक्षित रखरखाव (Safty and Security), वायु नमूना संग्रहण (Collection of Air Samples) एवं संबंधित फील्ड डाटा शीट (Ambient Air Quality Monitoring Sheet) मय फिल्टर पेपर एवं अभिकर्मक विश्लेषणार्थ (Analysis) क्षेत्रीय प्रयोगशाला पाली को निर्देशानुसार हस्तान्तरण (Hand Over) करने का कार्य अनुबन्ध के आधार पर कराने एवं क्षेत्रीय प्रयोगशाला पाली हेतु अनुभवी फर्मो / पंजीकृत संस्थाओं / एजेन्सियों से दरें प्राप्त करने हेतु डबल कवर सिस्टम में खुली बोली निविदा आमंत्रित की जाती है:–

क0 स0	विवरण	विशेष विवरण
1	कार्य का विवरण	वायु प्रदूषण मापने वाली मशीनों का संचालन, सुरक्षा एवं सुरक्षित रखरखाव, वायु नमूना संग्रहण, संबंधित फील्ड डाटा शीट मय फिल्टर पेपर एवं अभिकर्मक विश्लेषणार्थ कार्य, कार्यादेश दिनांक से 31.03.2024 तक की अवधि के लिये होगा।
2	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में)	4.50 लाख
3	अमानत राशि / निर्धारित घोषणा पत्र	9000 / – रूपये (DD/Banker Cheque- In favour of Regional Officer RSPCB, Pali)
4	निविदा प्रपत्र शुल्क	500 / – रूपये (DD/Banker Cheque- In favour of Member Secretary, RSPCB, Pali)
4	निविदा प्राप्त करने की दिनांक	निविदा प्रकाशन की दिनांक 22 / 08 / 2023 से कार्यालय समयानुसार
5	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय	29 / 08 / 2023 दोपहर 1:00 बजे तक
6	निविदा की तकनीकी एवं वितीय बिड खोलने की दिनांक एवं समय	29 / 08 / 2023 दोपहर 2:00 बजे तक

8. निविदा प्रपत्र एवं अन्य शर्ते मण्डलकी वेबसाईट www.environment.rajasthan.gov.in/rpcbएवं www.sppp.rajasthan.gov.in भी देखी जा सकती है।

NIB No ..PCB2324A0033...........

UBN No .PCB2324SSOB00031......

क्षेत्रीय अधिकारी
राप्रनिम, पाली

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान ए.सी.पी. (आई.टी.सेल) महोदय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि टेण्डर प्रपत्र राज्य मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
2. कार्यालय नोटिस बोर्ड क्षे.का., रा0 प्र0 नि0 म0 पाली।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एस–ए–6, मण्डिया रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, पाली

Phone No. 02932-231616 Email address-rorpcb.pali@gmail.com

निविदादाता द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला तकनीकी निविदा प्रपत्र

1 उपापन प्राधिकारी का नाम:- क्षेत्रीय अधिकारी,राजस्थान राज्य प्रदूशण नियंत्रण मण्डल, पाली

2 निविदा प्रस्तुत करने वाले का नाम/ फर्म का नाम: ....

3 पुरा पता : ....

....

4 संस्था की स्थिति में हस्ताक्षर करने वाले का नामः .... व पदनाम ....एवं प्रमाणित हस्ताक्षर ....

5 निविदादाता का दुरभाष संख्या/ लेण्डलाइन नं ....मोबाईल नं ....

6 बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित का विवरण निर्धारित कॉलम में प्रस्तुत किया जावेगा। पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ लगानी होगी :-

क.सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक कमांक
1.	ठेकेदार/फर्म को पूर्व में सरकारी,अर्द्व सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यकम अथवा अन्य समक्ष राष्ट्रीय कार्यकम जिसमें नमूनों (सेम्पल) के एकत्रिकरा/विश्लेषण/नमूनों का परिवहन के लिए कर्मचारी आपूर्ति कराने का न्यूनतम छः माह का सन्तोषप्रद कार्य सम्पादन का अनिवार्य अनुभव।				
2.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970। (लागू नहीं होने की स्थिति में निविदादाता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें)				
3.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
4.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
5.	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
6.	आयकर (पैन नंबर)				
7.	ब्लैक लिस्टेड अथवा डिफॉल्टर नहीं होने संबंधी 50रू. के नॉन ज्यडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र				
8.	निविदादाता की वित्तिय स्थिति सुदृढ होने के प्रमाण हेतु बैंक गारन्टी के तौर पर Bank Solvency कम से कम 05 लाख रूपये तक होना आवश्यक है।				
9	निविदादाता की वित्तिय वर्ष 2020-2021,2021-2022 एवं 2022-2023 में टर्न ऑवर 05 लाख जिसके समर्थन में चार्टेट एकाउंटेट द्वारा प्रमाणित पत्र एवं सम्बंधित वर्षो की बैलेंस शीट तथा आईटीआर प्रस्तुत करनी होगी।				
10	प्रामाणित बैंक खाता पासबुक/स्टेटमेन्ट की छायाप्रति				

7 Address proof: ....

8 निविदा शुल्कः 500/- रूपये रसीद संख्या/ डी डी/बैंकर चैक कमांक ....दिनांक .... सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भुगतान योग्य पाली के पक्ष में।

9 बोली प्रतिभूति राशि डीडी/ बैकंर चैक रूपये ..../- Reginal officer, RSPCB, Pali पक्ष में ।

10 टर्न ऑवर- बोलीदाता/ सवेंदक द्वारा गत 03 वित्तिय वर्ष 2020-2021,2021-2022 एवं 2022-2023 मे न्युनतम टर्न ऑवर 05 लाख होना चाहिए। जिसके समर्थन में चार्टेट एकाउंटेट द्वारा प्रमाणित पत्र की प्रति बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न करने होगी। सम्बन्धित वर्शों की बैलेंस भीट तथा आईटीआर प्रस्तुत करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,पाली

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एस–ए–6, मण्डिया रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, पाली
Phone No. 02932-231616 Email address-rorpcb.pali@gmail.com

11 मैं/ हम क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूशण नियन्त्रण मण्डल, पाली द्वारा जारी की गई निविदा सुचना कमांक राप्रनिम .... दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न प्रपत्र में दी गयी उक्त निविदा सूचना की शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करता हूॅ/ करते है एवं जिनके स्वीकार किए जाने के प्रमाण में निविदा प्रपत्र के सभी पृश्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये है।

12 अनुबन्ध कार्यादेश जारी करने की तिथि से वित्तिय वर्ष 31/03/2024 तक के लिये मान्य होगा। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

नामः मैसर्सः...............................

पताः ....

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,पाली

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एस–ए–6, मण्डिया रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, पाली

Phone No. 02932-231616 Email address-rorpcb.pali@gmail.com

वित्तीय निविदा (Financial Bid)

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों की संख्या	सी.पी.सी.बी. (CPCB) द्वारा निर्धारित तथा आर.एस.पी.सी.बी. (RSPCB) द्वारा संरक्षित दर पर प्रति माह/प्रति इकाई	सेवाप्रदाता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली दर प्रति माह/प्रति श्रमिक	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज प्रतिमाह रूपये	EPF राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित दर	ESI राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित दर	कुल राशि अकों में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	वैज्ञानिक सहायक	01	13400/-			13%	3.25%	
2	क्षेत्र सहायक	04	7358/-			13%	3.25%	
3	प्रयोगशाला परिचारक	01	7358/-			13%	3.25%	

1. CPCB के द्वारा देय पारिश्रमिक राशि के अनुसार राशि श्रमिकों को देने हेतु बिड प्रपत्र के वितीय बिड के कॉलम संख्या 04 में पारिश्रमिक राशियां निर्धारित कर राज्य मण्डल द्वारा दर संरक्षित की गई है, अतः बिड के वित्तिय प्रपत्र में कॉलम संख्या 05 में बिडदाता द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम पारिश्रमिक राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक 17953 दिनांक 28.06.2022 द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर (7358/–) से कम का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होगा।
2. क.सं. 1 के लिए 18000/– तथा क.स. 02 के लिए 10000/– रूपये अधिकतम कुल राशि सी.पी.सी.बी. द्वारा निर्धारित है, इससे अधिक राशि किसी भी रूप में देय नहीं है। उक्त राशि में समस्त प्रकार के भत्ते/चार्ज (CPF/ESI/Service Charge etc.) सम्मलित होगें।
3. उपर्युक्त तालिका में संवेदक द्वारा कॉलम 5, 6 एवं 09 में राशि अंकित की जावेगी। शेष कॉलमों की पूर्तिया इस कार्यालय द्वारा अंकित कर, बोली दस्तावेजों में अंकित कर उपलब्ध करवाई गई है। L-1 का निर्णय उपापन कमेटी द्वारा समस्त तकनीकी एवं वित्तिय तथ्यों को आधार मानकार किया जावेगा।
4. बोलीदाता/संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।
5. एक से अधिक बोलीदाताओं को कॉलम 09 में समान राशि अंकित होने पर जिस बोलीदाता का अनुभव व वित्तीय वर्ष 2020–2021, 2021–2022 एवं 2022–2023 में वार्षिक टर्न ऑवर पर किया जायेगा। तथा उस बोलीदाता को प्राथमिकता दी जा सकती है।
6. स्तम्भ संख्या 5 एवं 6 में (0) शुन्य, पैसे एवं (–) ऋणात्मक में राशि स्वीकार नहीं होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

नाम.......................................

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,पाली

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एस–ए–6, मण्डिया रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, पाली
Phone No. 02932-231616 Email address-rorpcb.pali@gmail.com

1 राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम **(National Ambient Air Quality Monitoring Programme)** कार्य का <u>विस्तृत विवरणः–</u>

वर्तमान में पाली शहर में प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Stations) निम्न स्थानों पर स्थित है :–

क्रमांक	स्थानकानाम	क्षेत्रीय प्रयोगशाला का नाम व पता जहॉ नमूने जमा कराने है।
1	क्षेत्रीय कार्यालय, राप्रनिम, पाली।	क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एस.ए 6 मण्डियारोड़ आद्योगिक क्षेत्र, पाली
2	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, टेगोर नगर, पाली	
3	कृषि उपज मण्डी, जोधपुर रोड़, पाली	

उक्त प्रबोधन केन्द्रों (Monitoring Stations) की संख्या तीन से अधिक की जा सकती है।

9.1 परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्र पर **<u>क्षेत्र सहायक</u>** के अपेक्षितकार्यः–

- **<u>कार्य का विवरणः</u>** राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल के राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) पाली स्थित (03) स्थानों पर,,वायु प्रदूषण मापने वाली मशीनो के संचालन,(Operation of Respirable Dust Sampler), उक्त उपकरणों के आस–पास सफाई, रक्षा एवं सुरक्षितरखने (Safety And Security),वायु नमूना संग्रहण (CollectionofAirsamples) एवं संबंधित आंकड़ो (Ambient Air Quality Monitoring Data Sheet) मय फिल्टर पेपर एवं क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला, रा.प्र.नि.मं. पाली को निर्देशानुसार आंकड़ो तथा वायु नमूनों का हस्तान्तरण (Hand over)/परिवहन करना। Sample (नमूना) के परिवहन के लिए किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भत्ता देय नही होगा । कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रबोधन केन्द्रो के स्थानों को परिवर्तित भी किया जा सकता है। मापन किये जाने वाले वायु प्रदूषण कों तथा मशीनों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है।
- निर्धारित स्टेशनों पर क्षेत्रीय कार्यालय, पाली द्वारा उपलब्ध करायी गयी मशीनों का सुचारू रूप से प्रचालन (Operation of Equipments)
- प्रत्येक प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Station) प्रत्येक सप्ताह में दो दिवस 24 घन्टे चलाया जायेगा।
- वांछित कार्य सम्पादन के लिये 8 घन्टे प्रति पारी (6.00 A.M. से 2.00 P.M, 2.00 P.M. से 10 P.M एवं 10.00 P.M, से 6.00 A.M) के संचालन हेतु प्रति पारी न्यूनतम एक क्षेत्र सहायक (Field Assistant) नियुक्त किया जायेगा।

9.2 क्षेत्रीय कार्यालय, पाली द्वारा विशेष परिस्थिति एवं त्यौहार यथा दीपावली के दौरान चुनिंदा स्थानों/उपरोक्त लिखित प्रबोधन केन्द्र (केन्द्रो) पर सप्ताह में दो दिवस के स्थान पर तीन दिवस या अधिक दिन को भी यह कार्य किया जा सकता है। इस कार्य को करने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होगी। इन कार्यों का भुगतान आनुपातिक दरों के अनुसार किया जायेगा।

क्षेत्र सहायक (FieldAssistant)की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता **उच्च माध्यमिक/सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण** होनी आवश्यक है। उक्त कार्य करने का अनुभव होने पर विज्ञान वर्ग को प्रार्थी को प्राथमिकता दी जावेगी।

वर्तमान में क्षेत्र सहायकों की आवश्यकता–04 (भविष्य में बढ़ोतरी योग्य)

9.4 **<u>वैज्ञानिक सहायक (ScientificAssistant)</u>**के अपेक्षित कार्यः–

परिवेशी वायुगुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम में अभिकर्मक विश्लेषणार्थ (Analysis)के कुशल सम्पादन/संचालन में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने के अतिरिक्त मण्डल द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले विभिन्न कार्यो का समयबद्ध तरीके से सम्पन्न करना।

9.5 वैज्ञानिक सहायक (ScientificAssistant) की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता **(रसायन विज्ञान/ पर्यावरण विज्ञान) परीक्षा उत्तीर्ण** होनी आवश्यक है

वर्तमान में वैज्ञानिक सहायक की आवश्यकता–01 (भविष्य में बढ़ोतरी योग्य)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,पाली

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एस–ए–6, मण्डिया रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, पाली
Phone No. 02932-231616 Email address-rorpcb.pali@gmail.com

9.6 शहर में परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन हेतु (Air Quality Monitoring) निर्धारित स्थानों पर अवस्थित स्टेशन (Air Quality Monitoring Stations) ठेकेदार के कर्मियों द्वारा संचालित किये जायेंगे।

9.7 वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी/वैज्ञानिक अधिकारी/अन्य अधिकृत अधिकारियों को समय–समय पर कार्य का निरीक्षण करने का अधिकार होगा, जिसके दौरान पायी गई कमियों के आधार पर ठेकेदार/संस्था पर शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी साथ ही ऐसी कमियों का ठेकेदार/संस्था द्वारा तुरन्त निराकरण करना।

राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम(National Ambient Air Quality Monitoring Programme)कार्य की शर्तेः–

- निविदादाता को पाली शहर के सम्पूर्ण प्रबोधन केन्द्रों (Monitoring Stations)वर्तमान संख्या 03 पर कार्य सम्पादन करने हेतु निविदा प्रस्तुत करनी होगी।
- क्षेत्रीय अधिकारी, पाली को अधिकार होगा कि अनुबन्ध की अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में नोटिस देकर अनुबन्ध को समाप्त कर सके। इस बारे में अनुबन्धकर्ता किसी भी हर्जे–खर्चे की मांग नहीं कर सकेगा एवं निविदादाता द्वारा जमा करायी गयी प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
- ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत निविदा या संलग्न दस्तावेजों में कोई मिथ्या तथ्य या कोई अन्य त्रुटि पायी जाने पर निविदा को रद्द करने एवं उसके द्वारा बोली प्रतिभूति घोषणा अनुसार नियमानुसार कार्यवाही करने का अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल, पाली को होगा।
- विभाग किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत कर सकता है। विभाग के लिए न्यूनतम दर की निविदा स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होगी।
- निविदा के साथ सभी आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे।
- हस्ताक्षर युक्त दस्तावेज क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक है इसके अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम(National Ambient Air Quality Monitoring Programme) के अन्तर्गत वायु नमूना संग्रहण (Ambient Air Monitoring) आंकड़ा प्रतिवेदन पत्र (Data Sheet) सहित क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयोगशाला, पाली को परिवहन के कार्य हेतु ठेका वित्तीय वर्ष 2022–2023 की शेष अवधि तक के लिए दिया जावेगा। ठेके की अवधि मे कार्य उत्कृष्ट पाये जाने की स्थिति में ठेका आपसी सहमति से पूर्व स्वीकृत दरों एवं शर्तो पर बढाया जा सकता है।
- प्रबोधन कार्य संचालन (Handling of Monitoring work)सम्पादन हेतु मशीन, उपस्कर/उपकरण, रसायन तथा कार्य प्रशिक्षण (Training on Operation of equipment, suppply of Absorbing Solutions, Filter Papers) आदि क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयोगशाला, पाली द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। आवश्यकतानुसार मशीन की मरम्मत, सर्विस (Servicing and Repairing) आदि की जिम्मेदारी मण्डल की होगी लेकिन प्रत्येक क्षेत्र सहायक (Technical Assistant) एवं वैज्ञानिक सहायक (ScientificAssistant) की कर्तव्य निष्ठा, सुचारू रूप से मशीन के संचालन/संधारण आदि के लिये निविदादाता उत्तरदायी होगा। क्षेत्र सहायक (Field Assistant)/ एवं वैज्ञानिक सहायक (ScientificAssistant) द्वारा मशीन के चालन/प्रचालन में रूकावट पर तुरन्त मण्डल के नामित अधिकारी को सूचित करना होगा। यदि ठेकेदार या उसके क्षेत्र सहायक (Technical Assistant) एवं वैज्ञानिक सहायक (ScientificAssistant) की लापरवाही से मशीन के खराब होने, कांच के सामान टूटने पर विभिन्न अभिकर्मको, फिल्टर पेपर, आकड़ा प्रतिवेदन, आकड़ा संग्रह आदि को क्षति पहुंचाने या दुरूपयोग करने पर ठीक कराने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होगी तथा क्षेत्रीय कार्यालय उपकरण ठीक कराने में किये गये व्यय को धरोहर राशि/उसे देय भुगतान में से वसूल कर सकेगा।
- ठेकेदार को कॉन्ट्रेक्ट लेबर (रेग्यूलशन एण्ड एबोलिशन) एक्ट, 1970 के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है। आयकर विभाग में स्थायी खाता संख्या एवं GST में रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न किया जावे।
- कार्यो के विवरण में दिये गये कार्यो को करते समय यदि किसी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी किसी भी रूप में अपंग हो जाता है या अन्य कोई क्षति होती है या कोई अनहोनी हो तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं इसके मुआवजे आदि के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जायेगा। क्षेत्रीय कार्यालय किसी भी प्रकार की क्षति/मुआवजे के लिये किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा।
- कर्मचारी राज्य बीमा, अंशदायी प्रावधायी निधि एवं अन्य कोई नियम जो ठेकेदार पर लागू होते हो तो उन नियमों के अन्तर्गत उनकी पालना करने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
- ठेकेदार प्रतिमाह प्रभारी, प्रयोगशाला शाखा, पाली या समकक्ष से मासिक बिल प्रमाणित करायेगा। क्षेत्रीय कार्यालय

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,पाली

द्वारा स्वीकृत निविदा राशि का ही भुगतान किया जायेगा इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का अन्य भुगतान नहीं किया जायेगा।

- ठेके की शर्तों का उल्लंघन करने पर बिना कोई नोटिस दिये ठेका निरस्त कर जमा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
- ठेके की व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाने पर क्षेत्रीय अधिकारी, रा0 प्र0 नि0 म0, पाली आर्बिट्रेटर होगा और उनका निर्णय अन्तिम होगा जो दोनो पक्षों को मान्य होगा।

अन्य महत्वपूर्ण शर्तें:

1 ठेकेदार/संस्था इस कार्य सम्पादन हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले व्यक्तियो की सूची मय फोटो तथा योग्यता प्रमाण पत्रों के संलग्न करेगा।

2 इस निविदा के तहत कार्य के निष्पादन हेतु ठेकेदार/संस्था द्वारा निर्धारित योग्यताधारी व्यक्तियों को नियोजन किया जायेगा तथा ऐसे नियोजित व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से कम भुगतान नही करेगा। यदि उसके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो इस हेतु ठेकेदार स्वंय जिम्मेदार होगा ।

3 ठेकेदार/संस्था द्वारा इस प्रकार नियोजित समस्त व्यक्तियों के आचरण की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार/संस्था की होगी तथा उसकी अनुशंषा पर ही उसके कर्मियों के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रवेशपत्र /परिचय– पत्र बनाए जायेगें। प्रत्येक क्षेत्र सहायक (Field Assistant) एवं वैज्ञानिक सहायक (ScientificAssistant)के लिये (ठेकेदार/संस्था के प्रतिनिधि सहित) क्षेत्रीय कार्यालय का प्रवेश पत्र रखना आवश्यक तथा मांगने पर दिखाना होगा।

4 प्रबोधन केन्द्र के चालन के समय 24 घंटे व्यक्ति उपलब्ध रहना अनिवार्य है।

5 ठेकेदार/संस्था द्वारा कार्य पर लगाये गये क्षेत्रीय सहायकों एवं वैज्ञानिक सहायकों की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होगी।

6 ठेकेदार/संस्था द्वारा अपराधिक चरित्र/अपराधिक प्रकृति/न्यायालय द्वारा अपराध–सिद्ध दोषी, सजायाफ्ता व्यक्ति को कार्य पर नहीं लगाया जावेगा।

7 ठेकेदार/संस्था के व्यक्तियों द्वारा यदि क्षेत्रीय कार्यालय सम्पत्ति, स्टेशन पर स्थापित उपकरण, विभिन्न रसायनो, अभिकर्मको आदि को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार/संस्था को करनी होगी।

8 ठेकेदार/संस्था को राज्य मण्डल/क्षेत्रीय कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जब भी निर्देश हेतु बुलाया जावेगा तो वह तुरन्त उपस्थित होगा।

9 ठेकेदार/संस्था द्वारा नियोजित किये जाने वाले क्षेत्र सहायक (Field Assistant) एवं वैज्ञानिक सहायक (ScientificAssistant) के संबंध में विभिन्न श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों के प्रावधानों की पालना करने का सम्पूर्ण दायित्व ठेकेदार/संस्था का होगा। क्षेत्रीय कार्यालय उक्त समस्त श्रम कानूनों के लिए किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा।

10 प्रभावी श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों के तहत प्रावधायी निधि (EPF) एवं बीमा (ESI),GST, सेवाकर आदि की राशि जमा करवाने, एवं अन्य वित्तीय अथवा कानूनी दायित्व ठेकेदार/संस्था के होंगे। इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नहीं किया जावेगा।

11 श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों की पालना न करने पर अथवा अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करने पर एवं कार्य सन्तोषजनक नहीं पाये जाने पर बिना नोटिस दिये ठेका समाप्त किया जा सकता है व कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

12 ठेकेदार/संस्था द्वारा नियोजित श्रमिकों के संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी भी सेवा/श्रमिक संबंधी विवाद में दायित्व ठेकेदार/संस्था का होगा तथा क्षेत्रीय कार्यालय से उनका कोई सम्बन्ध नहीं होगा।

13 यदि अनुबन्ध से संबंधित कार्यो के सम्पादन मे किसी प्रकार की लापरवाही पायी जाती है एवं इसके लिये निविदा शर्तों/कार्यादेश में शास्ति (Penalty) का स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है तो ऐसे कार्यो में लापरवाही या किसी प्रकार की शास्ति क्षेत्रीय अधिकारी, रा. प्र. नि. म. पाली द्वारा आरोपित की जा सकेगी।

14 ठेकेदार द्वारा चुकाये जाने वाली किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति/दंड एवं शास्ति (Compensation and Penalty) की राशि ठेकेदार को देय किसी भी प्रकार के भुगतान अथवा प्रतिभूति (Payment or Security) राशि में से वसूल करने का अधिकार क्षेत्रीय कार्यालय को होगा।

15 उक्त शर्तों के अतिरिक्त सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों/RTPP Rulesकी शर्तें व विनियम भी ठेकेदार/संस्था को स्वीकार्य होंगे।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,पाली

16 इस निविदा के सम्बन्ध मे अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध के संबंध में कोई न्यायिक विवाद किसी भी सक्षम न्यायालय में उत्पन्न होता है अथवा पूर्व के ठेके का कोई विवाद न्यायालय में लम्बित हो और माननीय न्यायालय द्वारा यदि कोई दिशा निर्देश पारित किया जाये तो माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना ठेकेदार/संस्था द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी चाहे वह प्रकरण में पक्षकार हो अथवा नहीं हो।

17 यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किसी भी परिस्थिति में यदि उक्त कार्य का कोई विकल्प प्राप्त कर लिया जाता है तो एक माह के पूर्व नोटिस के बाद संविदा समाप्त की जा सकेंगी।

18 इस निविदा के तहत अनुबन्ध की अवधि वित्तिय वर्ष 2022–2023 तक के लिये ही होगी तथापि अनुबन्ध की अवधि में कमी अथवा बढोतरी करने का अधिकार क्षेत्रीय कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

19 इस निविदा के सम्बन्ध मे अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध की शर्तो की व्याख्या अथवा अनुबन्ध से सम्बन्धित किसी भी मामले में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इस विवाद पर क्षेत्रीय अधिकारी, रा० प्र० नि० म०, पाली का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार/संस्था को मान्य होगा एवं ठेकेदार एवं क्षेत्रीय कार्यालय की आपसी सहमति से अनुबंध की अवधि को निविदा की शर्तों एवं दरों पर नियमानुसार बढ़ा सकते है।

20 ठेकेदार या उसके क्षेत्र सहायक (Field Assistant) द्वारा नमूने के एकत्रीकरण के कार्य में प्रतिदिन क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला प्रभारी के निर्देशानुसार प्रयोगशाला में नमूनों को मय आकडा प्रतिवेदन (Collected sample and Data Sheet)विश्लेषण के लिये जमा कराया जायेगा ।

<u>शास्ति (Penalty)</u>

- ठेकेदार/ठेकेदार के प्रतिनिधि द्वारा आंकड़ा प्रतिवेदन एवं नमूनों को क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला में समय पर जमा नही कराने पर उस दिन की भुगतान (Payment) की जाने वाली राशि का भुगतान नही किया जायेगा तथा उस दिन किये जाने वाली भुगतान राशि के बराबर की राशि की शास्ति (Penalty) लगायी जायेगी।
- ठेकेदार द्वारा लगातार तीन दिवसों पर कार्य में लापरवाही करने पर उन दिनों को भुगतान की जाने वाली राशि की दो गुना राशि शास्ति के रूप में वसूली जायेगी।
- लगातार सात कार्य दिवसों पर लापरवाही करने पर ठेका निरस्त किया जा सकेगा एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पूर्ण रूप से जब्त करी जायेगी तथा उसकी जोखिम पर कार्य अन्य संख्या से करवाया जावेगा तथा अन्तर की राशि ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

21 किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद का क्षेत्राधिकार पाली होगा।

22 आगामी माह का बिल का भुगतान गत माह की E.S.I., P.F., GSTके जमा की चालान मय ECRव भुगतान रसीद की प्रतिलिपि मय सूची प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा।

23 श्रम विभाग की दरों एवं अन्य प्रावधानों की पालना भी सुनिश्चित की जावें। उक्त दरों को राज्य सरकार/मण्डल मुख्यालय द्वारा संशोधित किये जाने पर तदानुसार देय होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
नामः मैसर्सः ....

दिनांक :

पताः ....

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,पाली

<u>राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवायें उपलब्ध कराने हेतु निविदा शर्तेः–</u>

1. निविदादाता को शर्तों को सावधनीपूर्वक पढ लेना चाहिए एवं निविदा प्रस्तुत करते समय इनकी पूर्णतः पालना करनी चाहिए। निविदादाता को यदि किसी शर्त या कार्य के बारे में कोई सन्देह हो या वह अस्पष्ट लगे तो अपनी निविदा प्रस्तुत करने से पहले उसका क्षेत्रीय कार्यालय, रा. प्र. नि. म. पाली से स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया जावे। किसी भी शर्त की व्याख्या या विशेष विवरण के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय का निर्णय ही अंतिम व मान्य होगा।
2. **तकनीकी बोली लिफाफा संख्या–01** एवं **वित्तिय बोली लिफाफा संख्या–02**को एक मुहरबन्द लिफाफे में रखकर लिफाफे पर"**<u>राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवायें उपलब्ध कराने के लिए मांगी जाने वाली निविदा</u>**" अंकित कर उसे क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एस.ए. 6 मण्डियारोड़ औधोगिक क्षेत्र, पाली, जिला अजमेरको संबोधित करते हुये रजिस्टर्ड डाक/सा धारण डाक द्वारा या व्यक्तिशः इस प्रकार से प्रस्तुत करना होगा कि वह निर्धारित तिथि एवं समय तक क्षेत्रीय कार्यालय, पाली में पहुँच जावे।
3. सफल निविदादाता को कार्यादेश दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर–अन्दर स्वंय के खर्चे पर रूपये 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध पत्र भरकर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा जिसका प्रपत्र क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा।
4. निविदा (ठेका) अनुमोदित होने पर जारी कार्य आदेश की तिथि के सात दिवस में कार्य की अनुमानित राशि के 2.5% के बराबर राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, पाली के पक्ष में डी.डी./बैंकर्स चैक के रूप में प्रस्तुत करनी होगी। प्रतिभूति पर किसी प्रकार का कोई ब्याज देय नही होगा। ठेका अवधि पूर्ण होने के पश्चात ठेका अवधि में कार्य सन्तोषजनक होने तथा किसी प्रकार का विवाद नही होने की स्थिति में प्रतिभूति राशि नियमानुसार वापिस लौटा दी जावेगी।
5. निर्धारित अवधि में अनुबन्ध नही करने परे निविदा निरस्त कर दी जावेगी एवं अन्य निविदादाता की निविदा स्वीकृत करने का निर्णय लिया जा सकेगा।
6. यह निविदा केवल वही व्यक्ति/फर्म/संस्थाऐं प्रस्तुत कर सकती है जिनका पंजीयन श्रम विभाग, आयकर विभाग पी.एफ. व ई.एस.आई. जी.एस.टी. में हो एवं इस प्रकार के राष्ट्रीय एवं समकक्ष कार्यक्रम में कार्य करने का 02 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। साक्ष्य के रूप में उक्त पंजीयन प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियां निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। बिना पंजीयन प्रमाण पत्रों के आवेदन करने वाली फर्म/व्यक्ति/संस्थाओं की निविदा को निरस्त समझा जावेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

नामः मैसर्सः ....

दिनांक :

पताः ....

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,पाली

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any Person Participating in a procurement process shall –

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation ;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process ;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or in directly, to any party or to its property to influence the procurement process ;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclosed any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity;

Conflict of interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A. Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interest that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

1A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to;

a. have controlling partners/ shareholders in common, or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,पाली

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder; or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process participation by a Bidder in more then one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Good, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer – in – charge / consultant for the contract.

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,पाली

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualification

<u>Declaration by the Bidder</u>

In relation to my/our Bid Submitted to……………………………………………………for procurement of ……………………………………in response to their Notice Inviting Bids No. ………………………… Dated………………………… I/We hereby declare under section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act .2012, that:

1. I/We Possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity ;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Ac, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:………………..

Signature of bidder

Palace:………………

Name:…………………………………..

Designation:……………………………

Address:………………………………..

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,पाली

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is **Member Secretary, RSPCBJaipur**

The designation and address of the Second Appellate Authority is **Chairperson, RSPCB Jaipur**

(1) **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision of action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved;

Provided that after the declaration of a Bidder successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceeding;

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective Bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases.

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidder in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality;

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,पाली

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non – refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the may be, upon filing of appeal shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fixed date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall;

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies there of relating to the matter;

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of document and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority Concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,पाली

FORM No. 1 [See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No …………………

of…………………………………………………………………………………………………..

Before the ………………………………………………………………………………. (First /Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :
   - (i) Name of the appellate:
   - (ii) Official address, if any:
   - (iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s):
   - (i)
   - (ii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative;
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:

   ……………………………………………………………………………………………
   ……………………………………………………………………………………

   (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

   ……………………………………………………………………………………………
   ……………………………………………………………………………………………

Place:………………

Date:……………….

Appellant's Signature

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,पाली

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid this substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids of the following basis :

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected ; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount is words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unite prices or other terms and conditions of the Bid and the condition of the contract.

(ii) If the Procuring Entity Does not procure any subject matter of procurement or procures less then the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more then 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,पाली

from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more then one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidder in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,पाली

(नोटेरी द्वारा सत्यापित 50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

Declaration realted to Blacklisted Firm

मैं / हम .... पुत्र श्री ....

पदनाम (प्रोपराईट / पार्टनर / अधिकृत प्रतिनिधि)..मै. ....

....

(फर्म का नाम) ....

(फर्म का पता)..

(घर का पता) यह शपथपूर्वक घोषणा करते है हमारी फर्म मै0 ....

....को भारत में कही भी ब्लैक लिस्टेड नही किया गया है।

दिनांक :–

स्थान :–

निविदादाता के हस्ताक्षर मय

नाम

व फर्म का पता मोहर सहित

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,पाली